क्रम संख्या–12

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 जनवरी, 2007 ई0
माघ 05, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांखण्ड शासन

प्रारूप अधिसूचना

यतः, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) के उपबन्धों तथा उसके अधीन गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 779(अ) के अनुसरण में उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखण्ड दिनांक 1 जनवरी, 2007 से परिवर्तित किया गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, 17 मार्च, 2007 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जायेगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल, राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से,
ह0 अपठनीय/–
उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव।

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the name of the State of Uttaranchal has been altered as Uttarakhand with effect from 1st January, 2007, in pursuance of provisions of Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006) and Notification No. G.S.R. 779(E), dated the 29th December, 2006 issued thereunder by the Ministry of Home Affairs; and

WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 17th March, 2007 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a general election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State;

Now, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Uttarakhand is hereby pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By Order and in the Name of Governor,

Illegible,
Chief Secretary to the Government of Uttarakhand.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 464/यू0के0एच0–वि0स0/2007
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन 25 जनवरी, 2007 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धाराओं 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा–

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में–

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	1 फरवरी, 2007 (बृहस्पतिवार),
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	2 फरवरी, 2007 (शुक्रवार),
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	5 फरवरी, 2007 (सोमवार),
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	21 फरवरी, 2007 (बुधवार), और
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जायेगा	:	2 मार्च, 2007 (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

ललित मोहन,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi--110001

No. 464/UKH-LA/2007
Dated New Delhi, January 25, 2007

NOTIFICATION

WHEREAS, the Governor of the State of Uttarakhand has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 25th January, 2007 been pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State of Uttarakhand, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby--

(A) **appoints,** with respect to the said election in each of the constituencies--

- (a) the 1st February, 2007 (Thursday), as the last date for making nominations,
- (b) the 2nd February, 2007 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) the 5th February, 2007 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) the 21st February, 2007 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) the 2nd March, 2007 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) **fixes the hours** from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

LALIT MOHAN,
Secretary,
Election Commission of India.